

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 52/20

सन् 2020

जीसीएमएस संख्या 2020/00101

बउनवानी-सीताराम पुत्र रामनाथ जाति बागडा निवासी भगवतगढ तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश क्षेत्रीय वन अधिकारी सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 05/2013
निर्णय दिनांक 29.05.2013 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री अब्दुल बहाव
2. श्री तौफिक मोहम्मद

वकील अपीलान्त
वकील रेस्पों. (पैरोकार)

-: निर्णय :-

दिनांक 09.04.2021

अपीलान्त द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2020 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष, 2013 में वनखण्ड 78 मेन भगवतगढ की भूमि आराजी ख0न0 2755 रकबा (100x85 Mt.) 0.8500 है0, वन भूमि पर जोत लगाकर अवैध कब्जा करने के आशय की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वास्तुं सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा वन प्रसार सहायक, वन रक्षक, वृक्षपालक के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है। यह तर्क भी दिया कि वनखण्ड 78 में भगवतगढ के खसरा 2755/5212 रकबा 0.85 है0 वन भूमि पर अवैध कब्जा होना मानकर निर्णय पारित किया जबकि खसरा नम्बर 2755 का रकबा ही 0.01 है0 गै0मु0 चाह है यह कैसे सम्भव है जब ख0न0 2755 का कुल रकबा 0.01 है0 है तो 0.85 है0 पर किस तरह कब्जा हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्त व अन्य को ख0न0 2755, 2760, 2754, 2758, 2679 वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का नोटिस जारी किया है जो आपस में विरोधाभाषी है इसलिए नोटिस व निर्णय में विरोधाभाष होने के कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त एक निरक्षर पेशा व्यक्ति है जिसने प्रभूलाल पुत्र नाथूलाल जाति बलाई निवासी भगवतगढ की नवीन वन अधिकारी भूमि ख0न0 2743 रकबा 0.82 है0 खसरा नम्बर 2744 रकबा 0.45 है0 को सांझे बांटे पर काश्त हेतु दे रखा है ऐसी स्थिति में अपीलान्त का किसी भी वन भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं हो सकता है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.07.2020 को अपीलान्त को बेदख करने की कार्यवाही करने हेतु कहने पर प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार

...(1).....

64.
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


मुझअपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वयं अपीलान्ट सीताराम से विधिवत करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 24.12.2013 को जवाब नोटिस पेश कर बताया कि साबिक खसरा नम्बर 1746 का काफी बड़ा रकबा है जिसमे से सुरज्य पुत्र बरदा रेगर निवासी भगवतगढ को दिनांक 30.6.1973 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसको अपीलान्ट सांझे बांटे पर काश्त करता है। अभी हाल में हुए सेटलमेंट के दौरान सुरज्या पुत्र बरदा रेगर को आंटित भूमि के नये ख0न0 2743 रकबा 0.82 है0 तथा ख0न0 2744 रकबा 0.45 है0 कुल 1.27 है0 की खातेदारी अंकित कर नया राजस्व रिकार्ड जारी किया है। किन्तु उक्त जवाब के समर्थन में कोई विधिक दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन मिसल, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच तहत अदालत मातहत द्वारा वन रक्षक, श्यामलाल जागा व वृक्षपालक चौथमल मीना के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की स्वयं अपीलान्ट से करवायी गयी तामील से हो जाती है तथा नोटिस पालना में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.12.2013 को अदालत मातहत के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया है किन्तु जवाब के समर्थन में कोई विधिक दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट का वन भूमि पर अतिक्रमण बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर